

पत्रांक २०२० / धारा-५७ / आयु०क०उत्तरा० / वाणि०क० / २००९-१० / देहरादून
कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा-५७ अनुभाग)
दिनांक: देहरादून: १९ अगस्त २००९,

प्रार्थना पत्र सं० :— ७४१२ दिनांक २३-१-०९

सर्वश्री राज एजेन्सी,
२७-हरिद्वार रोड देहरादून।

निर्णय का दिनांक :— अगस्त-२००९

प्रार्थी की ओर से — श्री राजीव वासन अधिवक्ता।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ की धारा-५७ के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री राज एजेन्सी, २७-हरिद्वार रोड देहरादून द्वारा दिनांक २३-१-२००९ को मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-५७ के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये Whip Topping पर कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

२— विभागीय उत्तर ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून सम्मांग, देहरादून से द्वारा प्रेषित करते हुये स्पष्ट किया गया है कि “Whip Topping” को किसी भी प्रकार से खाद्य तेल की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, तथा प्रश्नगत वस्तु उत्तराखण्ड वैट अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण इस पर कर की दर १२.५ प्रतिशत लागू होगी।

३— सुनवाई की तिथि को श्री राजीव वासन अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुये। उनके द्वारा लिखित उत्तर दाखिल करते हुये Whip Topping के निर्माण की प्रक्रिया से अवगत कराते हुये बताया कि Whip Topping का इस्तेमाल बैकरी प्रोडक्ट के कच्चे माल के रूप में किया जाता है तथा इसके निर्माण में पानी, खाद्य तेल, / वनस्पति तेल एवं वनस्पति धी, चीनी, स्टेबलाइजर, फ्लेवर, सोया प्रोटीन, कन्सन्ट्रैट एवं नमक का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत इसे इण्डस्ट्रीयल इनपुट के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया तथा दिल्ली एवं उ० प्र० राज्यों के द्वारा इसे इण्डस्ट्रीयल इनपुट मानते हुये इस पर ४ प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है। अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड राज्य में भी उक्त वस्तु पर ४ प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

४— मेरे द्वारा विभागीय मत एवं फर्म अधिवक्ता द्वारा रखे गये तथ्यों का अवलोकन किया गया। राज्य में लागू मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत Whip Topping को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है और न ही इण्डस्ट्रीयल इनपुट को वर्गीकृत करते हुये किसी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। फर्म द्वारा जिस वस्तु का निर्माण करते हुये बिक्री की जा रही है उसका इस्तेमाल मुख्यतः बैकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है लेकिन इसका अन्य रूपों में भी प्रयोग किया जाता है। अतः महज किसी मुख्य वस्तु के निर्माण में सहायक होने वाले कच्चे माल अथवा गौण वस्तु पर करदेयता का निर्धारण उस वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर लागू करदेयता के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। बैकरी प्रोडक्ट्स के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री में ड्राईफूड्स, जैम्स, जैलीज, मिल्क कीम आदि भी सम्मिलित हो सकती है किन्तु इन सामग्रियों पर करदेयता बैकरी प्रोडक्ट की भाँति निर्धारित नहीं हो सकती। मा० न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है कि वस्तुओं पर करदेयता के निर्धारण में हम अपनी ओर से न तो कुछ assume कर सकते हैं और न ही कुछ presume कर सकते हैं। फर्म

द्वारा जिस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उसे उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत समिलित किसी भी अनुसूची में समिलित नहीं किया गया है। अतः उक्त वस्तु पर बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर करारोपण R.N.R. अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर से किया जायेगा। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक—पृथक भेजा जाय।

भवदीय,

— ५४ —
१९०८-०९

(वी०के०सक्सेना)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

2020

पू०प०स० व दिनॉकःउक्तः

- प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
- 1— सर्वश्री राज एजेन्सी, 27—हरिद्वार रोड देहरादून।
 - 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
 - 3— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमौऊ जोन रुद्रपुर।
 - 4— एडिशनल कमिश्नर, (आडिट) / प्रवर्तन वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
 - 5— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन पदाधिकारियों / उधोग / व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
 - 6— ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
 - 7— ज्वाइंट कमिश्नर(वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
 - 8— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
 - 9— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य०० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुड़की।
 - 10— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
 - 11— नेशनल लॉ हाउस बी—२ मॉडन प्लाला बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
 - 12— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस—१५/५ राजनगर गाजियाबाद।
 - 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलकट्टे कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
 - 14— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
 - 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

— १९०८-०९ —

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।